न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी – **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या 132 / 2025 दायर दिनाँक 21.04.2025

वादी		**प्रतिवादी**
1. किशोर कुमार चाहर पुत्र गोविन्द राम चाहर जाति जाट निवासी चाहरों का बास, फोगडी तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन	**बनाम्**	1. तहसीलदार मौलासर।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री अशोक भाकर एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **29.10.2025**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 134 रकबा 6.1400 हैक्टेयर, वाके सरहद ग्राम फोगडी पटवार हल्का फोगडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दीनदारपुरा तहसील मौलासर में अवस्थित है। खसरा संख्या 134 भूमि में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम किशोर राम पुत्र गोविन्दराम दर्ज कर दिया जबकी वादी के अन्य दस्तावेजो आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में वास्तविक नाम किशोर कुमार चाहर पुत्र गोविन्द राम चाहर है जो सही व सत्य है। वादी का गलत नाम अंकन होने से वादी को सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है तथा बैंक आदि से के.सी.सी. लोन लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण दावा रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

राजस्व ग्राम फोगडी पटवार हल्का फोगडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दीनदारपुरा तहसील मौलासर के खेत खसरा नम्बर 134 रकबा 6.1400 हैक्टेयर में वादी का नाम किशोरराम पुत्र गोविन्दराम के स्थान पर किशोर कुमार चाहर पुत्र गोविन्द राम चाहर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक राजस्व / 2025 / 1097 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने [illegible] की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर [illegible] किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। [illegible] 134 की भूमि [illegible] वादी का नाम किशोरराम [illegible] पर किशोर कुमार चाहर [illegible] गोविन्द राम चाहर दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:32:24 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार मौजा फोगडी के खेत खसरा संख्या 134 में प्रार्थी का नाम किशोरराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट के नाम से दर्ज है। अन्य दस्तावेज जो सबूत पेश किये है उनमें किशोर कुमार चाहर पुत्र गोविन्द राम चाहर नाम से दर्ज है। किशोर कुमार चाहर के नाम खातेदारी पिता से विरासत (पूर्व में पिता को पारिवारिक बंटवारे के आधार पर दर्ज हुई है।) प्रार्थी किशोर कुमार चाहर पुत्र गोविन्द राम चाहर का नाम राजस्व रेकर्ड में किशोर राम पुत्र गाविन्दराम दर्ज है दोनों व्यक्ति एक ही है प्रार्थी को किशोर कुमार चाहर पुत्र गोविन्दराम चाहर के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाता है तथा इसी नाम से सरकारी योजना के तहत बने पहचान पत्रों में नाम दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद ग्राम फोगडी पटवार हल्का फोगडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दीनदारपुरा तहसील मौलासर के खेत खसरा नम्बर 134 रकबा 6.1400 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम किशोरराम पुत्र गोविन्दराम के स्थान पर किशोर कुमार चाहर पुत्र गोविन्द राम चाहर दुरूस्त किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक 29.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:32:24 IST
Reason: SelfAttested